
इकाई 10 व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 विशिष्ट कटौतियां (II)

10.2.1 चाय विकास खाता, काफी (Coffee) विकास खाता तथा रबड़ विकास खाता

10.2.2 कार्यस्थल पुनर्स्थापन कोष

10.2.3 वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

10.2.4 स्पेक्ट्रम के क्रय के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का परिशोधन

10.2.5 दूरसंचार के संचालन की लाइसेंस शुल्क का परिशोधन

10.2.6 निर्दिष्ट व्यापार पर व्यय के संबंध में कटौती

10.2.7 ग्राम विकास कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं एवं एसोसिएशन को किए गए भुगतान का व्यय

10.2.8 कृषि परियोजना विस्तार व्यय के लिए 100% की भारित कटौती

10.2.9 कौशल विकास परियोजना के व्यय के लिए 100% की भारित कटौती

10.2.10 कुछ प्रारंभिक व्ययों का परिशोधन

10.2.11 समामेलन व अविलियन पर व्यय का परिशोधन

10.2.12 स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के अधीन व्यय का परिशोधन

10.3 अन्य कटौतियां

10.4 सामान्य कटौतियां

10.5 सारांश

10.6 शब्दावली

10.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.8 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

10.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप समझ सकेंगे :

- धारा 33AB से धारा 35DDA के अंतर्गत विभिन्न कटौतियों की व्याख्या
- वैज्ञानिक अनुसंधान और परिवार नियोजन पर व्यय की गणना
- धारा 36 और 37 से संबंधित अन्य सामान्य कटौतियाँ

10.2 प्रस्तावना

इस इकाई में हमने व्यवसाय एवं पेशे के अर्थ की आय पर आयकर लगाने के आधार पर व्यापार एवं पेशे की गणना के सामान्य सिद्धान्तों की, तथा धारा 30 से धारा 32AD के अधीन विशिष्ट स्वीकृत कटौतियों का वर्णन किया गया है। इस इकाई के द्वारा धारा 33AB से धारा 37 तक की विभिन्न कटौतियों को समझाया जायेगा।

10.2 विशिष्ट कटौती एक्ट के अंतर्गत (II)

10.2.1 चाय विकास खाता, काफी विकास खाता तथा रबड़ विकास खाता [धारा 35AB]

- आवश्यक शर्तें
 - क) चाय कॉफी और रबड़ को उगाने तथा निर्माण के व्यापार में संलग्न।
 - ख) चाय कॉफी और रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत जमा या नाबार्ड के साथ विशिष्ट खाते में जमा धन
 - ग) यह धन गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के अंदर अथवा आय का विवरण दाखिल करने से पूर्व जो भी अवधि पहले समाप्त होती है, में जमा करना होगा।
 - घ) खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा होना चाहिए।
- कटौती- उपरोक्त योजना में जमा की गई धनराशि अथवा ऐसे व्यापार के लाभ के 40% के बराबर राशि (व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियां शीर्षक के अंतर्गत गणना की गयी), जो दोनों में कम हो।
- धारा 33AB के अन्तर्गत लाभ की गणना वगैर किसी कटौती के तथा धारा 72 के अन्तर्गत समायोजन हेतु लायी गयी हानि के समायोजन के बगैर परन्तु चालू वर्ष के ह्रास को घटाने के पश्चात की जायेगी।

10.2.2 कार्यस्थल पुनर्स्थापना कोष [धारा (33) ABA]

- आवश्यक शर्तें-
 - क) भारत में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के पूर्वक्षण (Prospecting For) निष्कर्षण (Extraction) अथवा उत्पादन (Production) में संलग्न व्यापार।
 - ख) केंद्रीय सरकार ने ऐसे कर दाताओं के साथ समझौता किया हो।
 - ग) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत एस. बी.आई. (SBI) में विशिष्ट खाते में जमा अथवा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत कार्यालय पुनर्स्थापना कोष में जमा। राशि को गत वर्ष के अंत से पहले जमा किया जाना चाहिए।
 - घ) खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा होना चाहिए।
- कटौती- उपरोक्त वर्णित योजना के अंतर्गत जमा राशि अथवा ऐसे व्यापार के लाभ का 20% जिसकी गणना (व्यापार अथवा पेशे के लाभ के अंतर्गत गणना किए हुए) दोनों में जो कम हो।
- लाभों की गणना धारा 35A B A के अंतर्गत कटौती के पहले तथा धारा 72 के अंतर्गत आगे लाई गई हानि से पहले की जायेगी।

10.2.3 वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय [धारा 35]

वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ ऐसे किसी भी क्रियाकलापों से है जो कि प्राकृतिक विज्ञान क्रषि सहित, पशु पालन या मत्स्य पालन सहित के क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि को बढ़ाने के लिए हो। धारा 43(4), ऐसे अनुसंधान दो तरीके से किए जा सकते हैं।

करदाता द्वारा स्वयं

बाहरी व्यक्तियों को दिया गया

- **करदाता द्वारा स्वयं**— करदाता आयगत एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती के लिए दावा कर सकता है।
- **आयगत व्यय [धारा 35(1)(i)]** : कोई करदाता जो विज्ञान की प्रकृति वाले किसी अनुसंधान को गत वर्षों में चला रहा है तथा इससे संबंधित आयगत व्यय करता है तो उसे ऐसे व्ययों के दावों की स्वीकृति दी जाएगी यदि अनुसंधान व्यापार से संबंधित हो ।
- **सभी आयगत व्यय** : वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु क्रय की गयी सामग्री तथा कर्मचारियों के अनुलाभ को छोड़कर वेतन जो व्यापार प्रारंभ के ठीक पूर्व के 3 वर्षों में किये गये हों उन्हें व्यापार प्रारम्भ के वर्ष के गतवर्ष के व्यय माना जायेगा और उसे व्यय निर्धारित अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा तक कटौती के रूप में स्वीकृत होंगे।

उदाहरण : यदि करदाता अपने व्यापार को 25.10.21 को आरंभ करता है तो वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया पूर्ण आय गत व्यय जोकि 25.10.21 को या इसके बाद किया गया है कटौती के रूप में स्वीकृत होगा तथा 25.10.2018 से 24.10.2021 तक का आयगत व्यय यदि निर्धारित अधिकारी स्वीकृत करें तो गत वर्ष 2021-22 में कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

- **पूंजीगत व्यय [धारा 35(1)(IV)]** : गत वर्ष में कोई करदाता जो विज्ञान की प्रकृति के अनुसंधान को गत वर्ष में चला रहा है, तथा भूमि क्रय के व्यय को छोड़कर अन्य पूंजीगत व्यय कटौती के दावे के लिए स्वीकृत होंगे यदि अनुसंधान व्यापार से संबंधित हो।
- सभी पूंजीगत व्यय (संयंत्र और मशीनरी के क्रय पर व्यय, भवन व वाहन का निर्माण आदि का कार्य) जो कि व्यापार आरंभ होने के ठीक 3 वर्ष पूर्व में किए गए हो, उन्हें उस गत वर्ष का व्यय माना जाएगा जिसमें व्यापार आरंभ हुआ हो तथा कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।
- वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजी व्यय की कटौती उस व्यापार के लाभ की सीमा तक स्वीकृत होगी। इस कटौती से कोई व्यापारिक हानि नहीं हो सकती है। यदि किसी गत वर्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया पूंजीगत व्यय व्यापार में लाभ व प्राप्ति न होने के कारण या संबंधित गत वर्ष में अपर्याप्त लाभ व प्राप्त के कारण समायोजित नहीं किया जा सकता हो तो उसे आगे आने वाले गत वर्षों में समायोजित किया जाएगा तथा यह वैज्ञानिक अनुसंधान पर अशोषित पूंजीगत व्यय के नाम से जाना जाएगा।
- वैज्ञानिक अनुसंधान पर आयगत व्ययों की कटौती के कारण कोई व्यापारिक हानि नहीं ज्ञात की जा सकती है
- वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग होने वाली संपत्ति का विक्रय
क) उस संपत्ति का विक्रय जिसे अन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग नहीं किया गया [धारा 41(3)] जा सकता है— संपत्ति का शुद्ध विक्रय मूल्य और लागत मूल्य जो कि पूर्व में धारा 35 के अंतर्गत कटौती के रूप में स्वीकृत है जो भी दोनों में कम है, उस गत वर्ष की व्यापारिक आय की तरह माना जाएगा जिसमें संपत्ति का विक्रय हुआ है।

कोई पूंजी लाभ जिसका विक्रय मूल्य— मूल लागत पूंजी लाभ के प्रावधानों के अनुसार होगी यदि व्यापार उस गत वर्ष में अस्तित्व में नहीं है तब भी यह प्रावधान लागू होंगे।

ख) उस संपत्ति का विक्रय जिसे अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है— यदि संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय में वैज्ञानिक उद्देश्यों में प्रयोग के बाद किया गया है, क्योंकि धारा 35 के अंतर्गत कटौती पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। अतः संबंधित संपत्ति के खंड शून्य मूल्य पर जोड़ दिया जाएगा। बाद में, जब यह बेच दिया जाएगा, तो जो मुद्रा प्राप्त की जाएगी उसे संपत्ति के खंड मूल्य में से घटा दिया जाएगा जिसे प्रारंभ में जोड़ा गया था।

● **बाह्य एजेंसियों को प्रदत्त अंशदान क्षरा**

आवश्यक नहीं है कि करदाता स्वयं अनुसन्धान करें बल्कि वह अनुसन्धान चलाने के लिए बाह्य एजेंसियों को भुगतान का अंशदान कर सकता है।

अंशदान	धारा	भारित कटौती
● केंद्र सरकार द्वारा चुने हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ एसोसिएशन एवं संस्थाओं को भुगतान	धारा 35(i)(ii) और (iia)	वास्तविक व्यय का 100%
● सामाजिक विज्ञान और सांख्यिकीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए कुछ संस्थानों को भुगतान— एसोसिएशन, अनुमोदित विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य संस्थाएं	धारा 35(i)(iii)	वास्तविक व्यय का 100%
● उस कंपनी को भुगतान जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग करती हो	धारा 35(i)(iia)	वास्तविक व्यय का 100%
● राष्ट्रीय अनुसंधानशाला, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और विशिष्ट व्यक्तियों की विशिष्टता के साथ इस आधार पर भुगतान करना कि उसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान उपक्रम के लिए निर्धारित अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा	धारा 35(2AA)	वास्तविक व्यय का 100%

कुछ दशाओं में कंपनी करदाता के विकास तथा गृह अनुसंधान पर कटौती [धारा 35(2AB)]

100% कटौती कम्पनी की स्वीकृत होगी।

क) जो कि किसी निर्माणी व्यापार अथवा किसी ऐसी विशिष्ट वस्तु के उत्पादन के व्यवसाय में हो जो कि आयकर अधिनियम की अनुसूची-II में सूचीबद्ध नहीं की गई हो।

ख) जिसके द्वारा (भूमि एवं भवन को छोड़कर) एवं वैज्ञानिक शोध एवं निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा स्वकृत सुविधाओं के विकास पर आयगत एक पंजीकृत व्यय किया गया हो।

इस कटौती के दावे के लिए लेखों का रख-रखाव व अंकेक्षण कराना आवश्यक है। यदि कटौती इस धारा के अंतर्गत स्वीकृत होती है तो यह किसी अन्य धारा के अंतर्गत स्वीकृत

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

नहीं होगा। 31.03.2020 के बाद किया गया व्यय इस धारा के अंतर्गत योग्य नहीं है। भवन की प्राप्ति के लिए किया गया व्यय (भूमि की लागत को छोड़कर) धारा 35 (1)(iv) के अंतर्गत व्यय 100% उपलब्ध होगा।

उदाहरण 1— अभिमन्यु ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 10,00,000 रुपए की एक संपत्ति गत वर्ष 2014–15 में क्रय की। गत वर्ष 2021–22 में यह संपत्ति वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए रोक दी गई। निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराई गई।

	रु.
ह्रास के पहले व्यापार से लाभ	5,00,000
01.04.2021 को संपत्ति खंड का अपलिखित मूल्य 15%	8,00,000
ह्रास की दर @15%	

यह मानते हुए कि (i) सम्पत्ति का विक्रय बिना व्यापार में प्रयोग किये हुए किया गया है तथा (ii) सम्पत्ति का विक्रय व्यापार में प्रयोग होने के बाद हुआ है। गतवर्ष 2021–22 हेतु कुल आय की गणना कीजिए। वैज्ञानिक सम्पत्ति का विक्रय 20,00,000रु. किया गया है।

व्यापार में प्रयोग न करते हुए संपत्ति का विक्रय	व्यापार में प्रयोग करने के बाद विक्रय
व्यापारिक आय रु.	व्यापारिक आय
व्यापार से लाभ 5,00,000	व्यापार से लाभ 5,00,000
(-) ह्रास@15% 1,20,000	(-) ह्रास@15% शून्य
3,80,000	5,00,000
संपत्ति के विक्रय पर लाभ 10,00,000	01.04.2021 को अपलिखित मूल्य 8,00,000
लागत या विक्रय मूल्य दोनों में जो कम है) 13,80,000	(+) वैज्ञानिक सम्पत्ती शून्य
	8,00,000
	(-) विक्रय मूल्य 8,00,000
	ह्रास के लिये अपलिखित मूल्य शून्य
दीर्घकालीन पूंजी लाभ	अल्पकालीन पूंजी लाभ
विक्रय मूल्य 20,00,000	(20,00,000–8,00,000) = 12,00,000
(-) सूचकांक लागत $10,00,000 \times \frac{317}{240}$ 13,20,833	
6,79,167	
गत वर्ष की कुल आय	गत वर्ष की कुल आय
=13,80,000+6,79,167 = रु. 20,59,167	=5,00,000+12,00,000 =17,00,000

उदाहरण 2

गत वर्ष 2021–22 के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च की अनुमति देने से पहले टी.लि. की व्यवसायिक आय 2,60,000 रुपये है। कम्पनी ने गतवर्ष 2021–22 के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान पर निम्नलिखित खर्च किए हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय	रु. 2,70,000
वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजी व्यय	5,00,000

वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर उपलब्ध कटौती की गणना करें मान लें कि कंपनी के पास कोई अन्य आय नहीं है।

हल:

विवरण	रु.
वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च का दावा करने से पहले व्यापार आय	2,60,000
घटायें : (i) वैज्ञानिक अनुसंधान पर राजस्व व्यय	2,70,000
(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजी व्यय (इस वर्ष कोई लाभ नहीं होने के कारण अनुमति नहीं)	5,00,000
व्यापारिक हानि	5,00,000

10.2.4 स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का परिशोधन [धारा 35ABA]

- कोई भी पूंजीगत प्रकृति का व्यय जो उपरोक्त अधिकार को प्राप्त करने में किया जाता है, उसे इस धारा के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रत्येक गत वर्ष में ऐसे व्यय का उचित हिस्सा कटौती के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।
- धारा 35ABB की उपधारा (2) से (8) में प्रयुक्त 'लाइसेंस' शब्द को 'स्पैक्ट्रम' शब्द से प्रत्यापित किया गया यदि किसी कटौती का दावा गत वर्ष में किया गया है और कटौती करदाता को धारा 35ABA के अन्तर्गत दी जा चुकी है और आगे के वर्षों में इस धारा प्रावधानों को पूरा करने में करदाता असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में
 - उक्त कटौती को गलती से प्रदान की गयी कटौती समझा जायेगा।
 - कर-अधिकारी सम्बन्धित गत वर्ष के लिए करदाता की कुल आय की पुनःगणना कर सकता है तथा वह आवश्यक संशोधन कर सकता है।

उपरोक्त उद्देश्य हेतु, सम्बन्धित गत वर्ष का आशय है :

- यदि स्पैक्ट्रम का शुल्क गत वर्ष में व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व चुका दिया गया है तो जिस गत वर्ष में व्यवसाय प्रारम्भ किया जाता है उसे गत वर्ष माना जायेगा।
- अन्य किसी दशा में, जिस गत वर्ष में स्पैक्ट्रम शुल्क चुकाया जाता है उसे गत वर्ष माना जायेगा।

10.2.5 दूरसंचार के संचालन की लाइसेंस फीस के भुगतान से परिशोधन [धारा 35ABB]

धारा 35 ABB के अंतर्गत कटौती पाने के लिए आवश्यक शर्तें (यदि ये शर्तें पूर्ण नहीं होती है तो इन कटौतियों का दावा धारा 37(1) के अंतर्गत किया जा सकता है)

- यदि दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व या बाद में किसी भी गतवर्ष में किसी भी समय प्राप्त किया जाता है तो वह पूंजीगत स्वभाव होना चाहिए।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

ख) भुगतान वास्तव में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया हो।

- कटौती : लाइसेंस के अधिकार को प्रयोग करने की अवधि में समान किशतों में कटौती स्वीकृत होगी तथा यह उस वर्ष आरंभ कटौती होगी जिसमें भुगतान किया गया है।
- उपरोक्त व्यय की धारा 32(1) के अंतर्गत कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी यदि धारा 35ABB के अंतर्गत कटौती हेतु दावा किया गया है।

10.2.6 निर्दिष्ट व्यापार पर व्यय के संबंध में कटौती [धारा 35AD]

- कटौती केवल निर्दिष्ट व्यापार की दशा में ही उपलब्ध है

निर्दिष्ट व्यापार	व्यापार का स्वामित्व किसका है	अनुमोदन (यदि कोई हो)
1) किसी शीत श्रंखला सुविधा की स्थापना एवं परिचालन	कोई भी व्यक्ति	आवश्यक नहीं
2) कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए भंडार हेतु सुविधा की स्थापना एवं उसका परिचालन	कोई भी व्यक्ति	आवश्यक नहीं
3) क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चा या पेट्रोलियम तेल वितरण के लिए पाइप लाइन नेटवर्क बिछाना और प्रचालन करना यदि इनका भंडारण करना ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग है तो वह भी इसमें शामिल है	एक भारतीय कंपनी अथवा भारतीय कंपनियों का संघ तथा केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी सत्ता अथवा बोर्ड अथवा कोई निगम	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिये
4) भारत में कहीं भी दो सितारा या इससे उच्च वर्ग के नए होटल का निर्माण और संचालन	कोई भी व्यक्ति	अनुमोदन आवश्यक नहीं है यद्यपि होटल केंद्रीय सरकार द्वारा दो सितारा या इससे उच्च वर्ग के लिए वर्गीकृत होना चाहिए
5) अस्पतालों का निर्माण एवं संचालन	कोई भी व्यक्ति	कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है भारत में कहीं भी जहां अस्पताल में रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हो
6) आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण	कोई भी व्यक्ति	केंद्रीय सरकार या राज्य द्वारा सरकार द्वारा निर्मित तथा बोर्ड नियमावली के अनुसार बोर्ड में सूची कृत मलिन बस्ती (SLUM) के पुनर्विकास या पुनर्वासन की

		किसी योजना के अंतर्गत आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण
7) आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण	कोई भी व्यक्ति	आवासीय परियोजना का विकास एवं निर्माण केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार तथा अधिसूचित बोर्ड द्वारा वहनीय आवासीय योजना के अनुसार होनी चाहिए
8) भारत में उर्वरक का उत्पादन	कोई भी व्यक्ति	आवश्यकता नहीं
9) इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर भाड़ा स्टेशन की स्थापना एवं संचालन	कोई भी व्यक्ति	कस्टम एक्ट द्वारा अनुमोदित एवं सूची
10) मधुमक्खी पालन एवं शहद तथा मधुमक्खी मोम के उत्पादन का व्यवसाय	कोई भी व्यक्ति	अनुमोदित नहीं
11) चीनी का भंडार रखने के लिए भंडार गृहों का निर्माण प्रचालन	कोई भी व्यक्ति	अनुमोदन नहीं
12) लौह अयस्क के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाना एवं उसका	कोई भी व्यक्ति	अनुमोदित नहीं
13) सेमी कन्डक्टर वेफर फैब्रिकेशन निर्माण इकाई की स्थापना एवं प्रचालन	कोई भी व्यक्ति	बोर्ड द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार
14) नई आधार संरचना को विकसित करना अथवा अनुरक्षित करना तथा संचालन करना।	एक भारतीय कंपनी या भारतीय कंपनी का संघ तथा केंद्रीय राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण बोर्ड या कोई निगम अथवा सत्ता	योग्य खाता द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय सत्ता अथवा अन्य किसी वैधानिक सत्ता के साथ सुविधा विकसित कर अनुरक्षण आदि हेतु समझौता किया गया हो इसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का ऐसा अनुपात जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निर्धारित करें सामान्य वाहक आधार पर करदाता एवं संबन्धित व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध होगा जोकि पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस सैम्यूलेटरी बोर्ड द्वारा हो।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

- शीत श्रृंखला सुविधा का तात्पर्य सुविधाओं के ऐसी श्रृंखला से है जिसमें कृषि तथा जंगल उत्पादों, मीट तथा मीट उत्पाद, समुद्री तथा डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन, बागवानी फूलों के तथा मधुमक्खी पालन, उत्पाद एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को जो कि वैज्ञानिक नीति से नियंत्रित दशाओं जैसे प्रशीतन तथा अन्य सुविधाएं जो कि ऐसे उत्पादों के संरक्षण में आवश्यक है, के भंडारण तथा आवागमन की सुविधा से है।
- ऐसे किसी भी पूंजीगत व्यय के दशा में जिसका भुगतान खाते में देना होगा। ड्राफ्ट अथवा बैंक के इलेक्ट्रॉनिक विधि की दशा को छोड़कर यदि व्यय 10,000 रु. से अधिक हो तो ऐसा व्यय योग्य नहीं होना इसी प्रकार भूमि ख्याति तथा वित्तीय विलेखनों का व्यय भी योग्य नहीं होगा।
- **कटौती** : गत वर्ष में धारा 35AD के दशाओं के अनुसार पूर्णतः एवं मात्र ऐसे उद्देश्य हेतु किये गये पूंजीगत व्यय का 100%।
- व्यवसाय प्रारंभ होने वाले वर्ष में जो व्यय व्यवसाय संचालन से पहले करदाता के खातों की किताबों में पूंजीकृत तथा कटौती के लिए स्वीकृत होंगे।
- **शर्तें**
 - क) मौजूदा व्यापार के विभाजन एवं पुनर्गठन के कारण स्थापित ना हुआ हो
 - ख) पूर्व में प्रयोग की गई किसी मशीनरी व संयंत्र के किसी भी उद्देश्य के लिए हस्तांतरित करके स्थापित न किया गया हो।
 - ग) जिस संपत्ति के लिए कटौती का दावा किया जाता है उसका प्रयोग विशेष रूप विशिष्ट व्यापार में 8 वर्ष के लिए हुआ होना चाहिए। इस अवधि का प्रारंभ निर्माण वर्ष से प्राप्त होगा।
- यदि किसी संपत्ति अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है तो धारा 35AD के अंतर्गत दी गई कटौती वापस ले ली जाएगी लेकिन धारा 32 के अंतर्गत स्वीकृत ह्रास लगाने के पश्चात आई राशि जिस गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग हुआ है उस गत वर्ष व्यापारीक आय मानी जाएगी।

उदाहरण 3

एक्स लिमिटेड ने भवन का निर्माण किया तथा 3 सितारा होटल का संचालन 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया कंपनी ने इससे संबंधित निम्न व्यय किए।

रु.

1)	दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक किए गए पूंजीगत व्यय भूमि की लागत 50,00,000 रुपए सहित जिन्हें कथित 31 मार्च 2022 की लेखों की पुस्तकों में पूंजीकृत है	1,10,00,000
2)	गत वर्ष 2021-22 में किया गया पूंजीगत व्यय (ख्याति के लिए 20,00,000 रु. का भुगतान में शामिल है)।	1,40,00,000

कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए धारा 35 AD के अंतर्गत कटौती की गई राशि की गणना कीजिए।

विवरण	रु.
पूँजीगत व्यय व्यापार शुरू होने के पहले के हैं लेकिन लेखों की पुस्तकों में पूँजीकृत हैं	1,10,00,000
घटाया: भूमि की लागत धारा 35AD के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है।	50,00,000
	60,00,000
जोड़: गत वर्ष 2021-22 में ख्याति को छोड़कर पूँजीगत व्यय	1,20,00,000
धारा 35 AD के अंतर्गत स्वीकृत कटौती	1,80,00,000

10.2.7 ग्राम विकास कार्यक्रम चलाने के लिए किसी संस्था और एसोसिएशन को व्यय का भुगतान [धारा 35CCA]

ग्राम विकास के लिए राष्ट्रीय कोष में दी गई राशि जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कोष में दी गई राशि उन करदाताओं के लिए कटौती योग्य है जो व्यापार व पेशा चलाते हैं।

10.2.8 कृषि परियोजना विस्तार पर व्यय की भरित कटौती की राशि 100% [धारा 35 CCC]

स्वीकृत	किसी भी करदाता को
उद्देश्य	बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी कृषि परियोजना विस्तार पर किया गया व्यय
मात्रा	गत वर्ष के व्यय का 100%
स्वीकृति	यदि कटौती धारा 35CCC के अंतर्गत दावा की जाती है तो किसी भी कर निर्धारण वर्ष में आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी।

10.2.9 कौशल विकास योजना पर कंपनी द्वारा किए गए व्यय की 100% की भरित कटौती [धारा 35CCD]

स्वीकृत	केवल कंपनी करदाता
उद्देश्य	बोर्ड द्वारा अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर व्यय राशि जिसमें भूमि एवं भवन की लागत शामिल नहीं
मात्रा	वर्ष में किए गए व्यय का 100%
स्वीकृति	यदि कटौती का धारा 35 CCD के अंतर्गत दावा किया जाता है तो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी कर निर्धारण वर्ष में कटौती नहीं मिलेगी।

10.2.10 प्रारंभिक व्ययों के संबंध में परिशोधन [धारा 35D तथा नियम 6AB]

स्वीकृत	भारतीय कंपनी तथा कंपनी के अतिरिक्त भारत में निवासी व्यक्ति
स्वीकृति	यह व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किए जाने चाहिए अथवा स्थापित उपक्रम को बढ़ाने अथवा नई इकाई की स्थापना से संबंधित होने पर व्यापार प्रारंभ होने के बाद में भी हो सकता है ८
योग्य व्यय	निम्नलिखित व्यय कटौती के योग्य है। क) निम्न के सन्दर्भ में किये गये व्यय i) समान्यता रिपोर्ट तैयार करने के व्यय ii) परियोजना की रिपोर्ट तैयार करने के व्यय iii) बाजार सर्वेक्षण अथवा करदाता के व्यापार के लिए आवश्यक अन्य किसी प्रकार का सर्वेक्षण करने पर व्यय iv) करदाता के व्यापार से संबंधित यांत्रिकी सेवा पर व्यय ख) करदाता के व्यापार को स्थापित करने अथवा चलाने के संबंध में करदाता तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच हुए अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए कानूनी व्यय ग) यदि करदाता कंपनी है तो निम्न व्यय भी— i) कंपनी का पार्षद सीमा नियम, तथा पार्षद अंतर नियम का आलेखन (मसौदा तैयार करने) के कानूनी व्यय ii) पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम के मुद्रण पर व्यय iii) अंशो तथा ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में अभिगोपन कमीशन, दलाली तथा पूरा विवरण का मसौदा तैयार करना, टाइपिंग, प्रिंटिंग, तथा प्रतिवरण का व्यय। घ) अन्य कोई निर्धारित व्यय।
योग्य राशि	सभी के लिए परियोजना की लागत के 5% से अधिक नहीं, परन्तु कंपनी को छोड़कर कंपनी की दशा में यह प्रतिशत प्रोजेक्ट की लागत के 5% या कंपनी की व्यापार में लगी हुई पूंजी का 5% तक हो सकता है। (इसमें से जो कम्पनी के लिए लाभकारी हो।)
कटौती की मात्रा	पांच सामान किस्तों में, जो कि व्यापार प्रारंभ होने वाले गत वर्ष से प्रारंभ होगा, या जिस गत वर्ष में विस्तार पूर्ण हुआ हो या जिस गत वर्ष में नई इकाई में उत्पादन/संचालन प्रारंभ हुआ हो।

**10.2.11 समामेलन या अविलियन की दशा में व्यय का परिशोधन
[धारा 35 DD]**

व्यापार अथवा पेशे के लाभ
एवं प्राप्तियों से आय-II

स्वीकृत	किसी भी भारतीय कंपनी को
उद्देश्य	किसी उपक्रम समामेलन या अविलियन पर किये गये आंशिक अथवा पूर्ण व्यय
कटौती	ऐसे व्यय के 1/5 भाग की कटौती 5 वर्षों में स्वीकार की जाएगी जिसका प्रारंभ उस वर्ष में होगा जिसमें सम्मेलन या अविलियन हुआ है।
स्वीकृति	यदि धारा 35 DD के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रावधान में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी

10.2.12 स्वेच्छा से सेवानिवृत्त के अंतर्गत व्यय का परिशोधन [धारा 35 DDA]

स्वीकृत	किसी भी करदाता को
उद्देश्य	यदि करदाता अपने कर्मचारी को उसके स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के संबंध में किसी गत वर्ष में ऐसी योजना के अंतर्गत भुगतान करता है
मात्रा	व्यय के 1/5 भाग लगातार आगे के पांच गत वर्षों में
स्वीकृति	यदि कटौती का दावा धारा 35 DDA के अंतर्गत हुआ हो तो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी गत वर्ष में कोई कटौती स्वीकार नहीं होगी।

बोध प्रश्न क

1) निम्न का मिलान कीजिए।

विशिष्ट कटौती	धारा
1. चाय विकास खाता	क) धारा 35ABB
2. कार्यस्थल पुनर्स्थापना कोष	ख) धारा 35
3. वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय	ग) धारा 35AB
4. दूरभाष लाइसेंस फीस का परिशोधन	घ) धारा 35AD
5. विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर व्यय के संबंध में कटौती	ङ) धारा 35ABA

2) बताइए निम्न वाक्य सत्य है या असत्य

- क) सट्टे के लाभ व्यापार अथवा पेशे शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होते हैं।
- ख) कार्यस्थल पुनर्स्थापना कोष उन कर दाता के लिए उपलब्ध होता है जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के पूर्वक्षण निष्कर्ष अथवा उत्पादन में भारत में लगे हो

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

- ग) राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या भारतीय तकनीकी संस्थान को दिए गए दान इस तरह से दिए गए वास्तविक व्यय के 100% तक की कटौती के रूप में स्वीकार होगी
- घ) धारा 35ABB को कटौती दूर संचार सेवाओं के सम्बन्ध में प्रदान की जाती है।

10.3 अन्य कटौतियां

धारा 36 के अंतर्गत दी गई विशिष्ट कटौतियां निम्नलिखित हैं—

माल के बीमा का प्रीमियम [धारा 36 1(i)]	<ul style="list-style-type: none"> ● माल की क्षति व विनाश के जोखिम से बचने के लिए किए गए बीमा के प्रीमियम का भुगतान (व्यापार के उद्देश्य के लिए) ● भुगतान का अर्थ वास्तव में भुगतान किया अथवा जिस तरह से लेखे रखे गए हैं उसके अनुसार हो।
पशुओं के बीमे का प्रीमियम [धारा 36 1(ia)]	<ul style="list-style-type: none"> ● संघीय दुग्ध सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्य के पशुओं के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान, जिसका स्वामित्व प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के किसी सदस्य के पास हो
कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा [धारा 36 1(ib)]	<ul style="list-style-type: none"> ● भारतीय सामान्य बीमा निगम या किसी अन्य बीमा करने वाले जो IRDA के द्वारा अनुमोदित हों, तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो कि बनाई गई किसी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए कराए गए बीमा की प्रीमियम की राशि बशर्ते भुगतान रोकड़ में न किया गया हो।
कर्मचारियों को बोनस और कमीशन धारा 36(1)(ii)	<ul style="list-style-type: none"> ● कर्मचारियों को दिए गए बोनस अथवा कमीशन की रकम लाभ के अंश अथवा लाभांश की तरह नहीं हो। ● केवल भुगतान के आधार पर स्वीकृत इसका दावा उदय होने के आधार पर भी किया जा सकता है बशर्ते धारा 43B के प्रावधान के अन्तर्गत दावा किया जाये।
उधार ली हुई पूंजी पर ब्याज [धारा 36(1)(iii)]	<ul style="list-style-type: none"> ● शर्तें – करदाता ने पूंजी अपने व्यवसाय पेशे अथवा व्यापार हेतु उधार ली हो और उस पर ब्याज भुगतान किया हो अथवा देय हो। ● भुगतान का अर्थ वास्तव में भुगतान से या लेखे के तरीके के अपनाने के अनुसार है। ● स्वयं की पूंजी पर ब्याज कटौती योग्य नहीं है

	<ul style="list-style-type: none"> ● ब्याज का अर्थ किसी भी तरह से उधार या लिए गए ऋण की पूंजी पर देय ब्याज (जमा, दावे, कोई सेवा, फीस या अन्य समान अधिकार या दायित्व सहित) तथा इसमें उधार पूंजी अथवा प्रयोग की सुविधा सम्बंधी कोई सेवा फीस अथवा अन्य कोई व्यय भी संकलित होगा [धारा 2(28A)] ● संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उधार ली गई पूंजी पर ब्याज आयगत व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होगा यह ब्याज संपत्ति की लागत में जोड़ा जाएगा। ● वित्तीय संस्थानों का देय ब्याज तथा अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण या अग्रिम पर ब्याज धारा 43 B के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत कटौती है
<p>जीरो कूपन बॉन्ड पर डिस्काउंट या छूट की यथा अनुपातिक राशि स्वीकृत होगी [धारा 36(1)(iiia)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● जीरोकूपन बॉन्ड वह बान्ड है जो आधारभूत ढांचा पूंजी कंपनी अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा निर्मित किये जाते हैं। ● कटौती की राशि बान्ड के जीवन अवधि पर समानुपात रूप से स्वीकृत होती है ● छूट बराबर = परिपक्वता पर राशि (-) निर्गम के समय प्राप्त प्राप्त राशि। ● बॉन्ड की जीवन अवधि – अवधि का आरंभ बांड के निर्गम की तिथि से शुरू होकर परिपक्वता शोधन की तिथि तक
<p>प्रमाणित भविष्य निधि या अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में नियोक्ता का अंशदान [धारा 36(1)(iv),</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● यह कटौती उस सीमा तक स्वीकृत होगी जो कि भविष्य निधि के प्रमाणीकरण तथा सुपरएनुएशन फंड के लिए निर्धारित हो, जैसे भी दशा हो। ● धारा 43B के सन्दर्भ में ऐसा देय भुगतान जिसका भुगतान देयता के आधार पर वर्ष के अन्त में देय हो तो यदि उस समय तक स्वीकृत नहीं होगा जब तक धारा 139(1) के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने की तिथि पर अथवा उसके पूर्वभुगतान व वास्तविक भुगतान न कर दिया जाये अन्तिम तिथि के बाद भुगतान की दशा में कटौती किये जाने वाले वर्ष में भुगतान स्वीकृत होगा।
<p>पेंशन की योजना के अंतर्गत नियुक्त का अंशदान [धारा 36(1)(9iva)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में नियोक्ता का अंश दान कर्मचारी के वेतन का 10% स्वीकृत है।

	<ul style="list-style-type: none"> • वेतन में महंगाई भत्ता (सेवा की शर्तों के अधीन हो) शामिल है परंतु अन्य सभी भत्ते वह अनुलाभ शामिल नहीं है।
अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में नियोक्ता का अंशदान ख़ासा 36(1)(V),	<ul style="list-style-type: none"> • नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के हित में बनाए गए अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में धारा 43 B के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की गई राशि।
कुछ कल्याण योजनाओं में कर्मचारियों से प्राप्त राशि यदि उनके खाते में देय तिथि से पहले जमा हो जाए [धारा 36 (1)(Va)]	<ul style="list-style-type: none"> • कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि, या सुपरएनुएशन फंड या कर्मचारी राज्य बीमा या अन्य किसी फंड में उसके कल्याण के लिए की गई कटौती कटौती की राशि को किसी एक्ट, नियम, या किसी आदेश या निर्गत अधिसूचना के अधीन को स्थायी आदेश पक्ष में निर्गत सेवा की शर्तों अथवा अन्य किसी दशा में देय तिथि तक सन्दर्भित फण्ड में जमा करना पड़ेगा। • यदि वेतन में से की गई कटौती को समय से नियोक्ता द्वारा जमा नहीं कराया गया तो धारा 2(24) (X) के अनुसार इस कटौती की राशि नियोक्ता की आय माना जायेगा।
पशुओं के स्थाई रूप से अयोग्य अथवा उनकी मृत्यु होने पर भत्ता [धारा 36(1)(vi)]	<ul style="list-style-type: none"> • व्यापार में रहतिये के अतिरिक्त पशुओं को क्रय करने के व्यय को व्यापार एवं पेशे के स्टाक के रूप में अतिरिक्त उनके कंकाल या उनके विक्रय से मिलने वाली राशि को घटाकर प्राप्त राशि कटौती के रूप में स्वीकृत है।
डूबत ऋण धारा 36 (1)(vii)	<p>कटौती पाने के लिए निम्न शर्तों को पूर्ण करना—</p> <p>क) ऐसे ऋण या उसके किसी अंश को करदाता की गत वर्ष या इससे पहले के किसी गत वर्ष में करदाता की आय की गणना में शामिल किया हो।</p> <p>ख) यह करदाता के उस गत वर्ष में उसकी पुस्तकों में अप्राप्य मानकर अपलिखित कर दिया गया हो</p> <p>महत्वपूर्ण बिंदु</p> <p>क) डूबत ऋण आयगत प्रकृति के होने चाहिए।</p> <p>ख) ऋण व्यापार या पेशे से संबंधित होना चाहिए।</p> <p>ग) बैंकिंग के सामान्य व्यापार की तरह करदाताओं द्वारा मुद्रा उधार देना या ऋण देना दर्शाता है।</p> <p>घ) यदि विक्रय के कारण डूबत ऋण होता है ,तो यह कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, क्योंकि विक्रय आए की तरह माना जाएगा।</p> <p>ङ) उधार देने के व्यापार की दशा में ब्याज आय होती है। यदि यह ब्याज की आय प्राप्य नहीं होती है, तो इसे डूबत ऋण की तरह माना जायेगा। इस दशा में यदि जो ऋण दिया गया</p>

	<p>है वह भी प्राप्त नहीं होता है तो उसे भी डूबत ऋण की तरह रखा जा सकता है ।</p> <p>च) यदि कच्चा माल क्रय करने के लिए कुछ अग्रिम दिया जाता है, और इसे ऋण दाता (लेनदार) द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो इसे डूबत ऋणकी तरह नहीं माना जाएगा क्योंकि इसे कभी भी आय की तरह नहीं माना जाता हैय इसलिए इसे धारा 28 के अंतर्गत हानि की तरह स्वीकृत किया जाता है।</p> <p>छ) डूबत तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन कटौती के योग्य नहीं है।</p> <p>ज) यदि किसी राशि का दावा तक इसकी स्वीकृति डूबत ऋण की तरह की जा चुकी है, परन्तु यदि कोई राशि आगे प्राप्त होती है तो उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें राशि प्राप्त होती है। व्यापार उस गत वर्ष में चाहे चालू रहे या न रहे जिसमें राशि प्राप्त होती है।</p>
<p>कर्मचारियों के मध्य परिवार नियोजन को प्रोत्साहन पर व्यय [धारा 36(1)(ix)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● केवल कंपनी करदाता को स्वीकृत ● परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए अपने कर्मचारियों के मध्य कंपनी द्वारा किया गया व्यय उस वर्ष कटौती के रूप में स्वीकृत होगा जिसमें वह हुआ होगा। ● यदि व्यय पूंजीगत प्रकृति का हो तो ऐसी दशा में, व्यय का 1/5 उस गत वर्ष में कटौती योग्य होगा, जिसमें वह हुआ है, तथा शेष राशि चार समान किस्तों में आगे 4 वर्षों में कटौती के रूप में स्वीकृत होंगी। ● यदि किसी गत वर्ष में परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय (आयगत व पूंजीगत दोनों) व्यापार में लाभ ना होने या पर्याप्त लाभ ना होने पर उस गत वर्ष में समायोजित नहीं हो पाता है तो उसे परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय के रूप में हानि की पूर्ति के लिए आगे ले जाया जाएगा।
<p>प्रतिभूति संव्यवहार कर भुगतान कटौती के लिए स्वीकृत [धारा 36(1)(xv)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि कर योग्य प्रतिभूति संव्यवहार से आय उदय होती है तो इसे आय में शामिल किया जाएगा, तब प्रतिभूति संव्यवहार कर जो कि कर जाता द्वारा भुगतान किया जाता है, कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।
<p>वस्तु संव्यवहार कर कटौती के रूप में स्वीकृत [धारा 36(xvi)]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● एक कर योग्य वस्तु संव्यवहार से आय उदय होती है और आय में शामिल की जाती है, तो करदाता द्वारा भुगतान किया गया वस्तु संव्यवहार कर कटौती के रूप में स्वीकृत होगा।

उदाहरण 4

गत वर्ष 2021-22 के लिए एक्स लिमिटेड के परिवार नियोजन के व्ययों की स्वीकृति के पहले की आय रु.3,00,000 है कंपनी ने गत वर्ष 2021-22 में परिवार नियोजन पर कर्मचारियों के ऊपर निम्न व्यय किए

रु.

- 1) परिवार नियोजन पर आयगत व्यय 1,65,000
 - 2) परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय 9,00,00
- क) कंपनी के परिवार नियोजन के व्यय की कटौती की गणना यह मानकर कीजिए कि कंपनी की अन्य स्रोतों से आय रु.30,000 थी।
- ख) आपका उत्तर क्या होगा यदि परिवार नियोजन के आयगत व्यय रु.1,65,000 के स्थान पर रु.2,30,000 है।

हल

विवरण	रुपए		रुपए
परिवार नियोजन पर व्यय की कटौती के पहले का लाभ			3,00,000
घटाया : आय गत व्यय	1,65,000		
पूंजीगत व्यय (रु.9,00,000 का 1/5 = रु.1,80,000 रुपए परंतु व्यापारी आय की सीमा तक स्वीकृत)			
व्यापारिक आय			शून्य
अन्य स्रोतों से आय		30,000	
घटाया: परिवार नियोजन पर अशोषित पूंजीगत व्यय		30,000	शून्य
सकल कुल आय			शून्य
परिवार नियोजन पर अशोषित पूंजीगत व्यय की शेष राशि रु.15000 रुपए आगे ले जाए जाएगी।			
परिवार नियोजन पर वह की कटौती के पहले का लाभ		3,00,000	
घटाया आएगत व्यय	2,30,000		
पूंजीगत व्यय का 1/5	1,80,000		
	4,10,000		
कटौती व्यापारिक आय तक सीमित है		3,00,000	शून्य
परिवार नियोजन व्यय का शेष	1,10,000		
अन्य स्रोतों से आय से परिवार नियोजक व्यय पूर्ण किये गये हों।	30,000		

परिवार नियोजन का अनवशोषित व्यय आगे ले जाया गया	80,000		
अन्य स्रोतों से आय		30,000	
घटाया: परिवार नियोजन व्यय को आगे लाया गया		30,000	शून्य
सकल कुल आय			शून्य

10.4 सामान्य कटौतियां [धारा 37]

धारा 37 के अन्तर्गत सामान्य कटौती के लिए दावा किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है।

- धारा 30 से 36 के अन्तर्गत आने वाले व्यय की प्रकृति का नहीं होना चाहिए।
 - यह व्यय पूंजीगत व्यय या करदाता का व्यक्तिगत व्यय नहीं होना चाहिए।
 - यह व्यय कर दाता के व्यापार से संबंधित गत वर्ष में किए जाने चाहिए।
 - यह व्यय पूर्णतया उसके व्यापार के लिए किया गया होना चाहिए।
 - यह व्यय किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए जो गैरकानूनी या प्रतिबंधित है।
 - धारा 37(1) के अंतर्गत स्वीकृत व्यय।
- 1) व्यवसाय के उद्देश्य हेतु अधिविकर्ष (Overdraft) सुविधाओं को हासिल करने हेतु किये गये व्यय।
 - 2) ख्याति के प्रयोग हेतु सामयिक भुगतान
 - 3) किसी भी दिन के अन्त में पायी गयी रोकड की कमी।
 - 4) व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु व्यय।
 - 5) चाय बागानों के रख-रखाव हेतु समस्त व्यय।
 - 6) माल क्रय करने, निर्माण तथा विक्रय करने के सम्बन्ध में किये गये व्यय।
 - 7) व्यापार की बिक्री बनाये रखने के सम्बन्ध में किये गये सामान्य विज्ञापन व्यय।
 - 8) व्यापार चलाने के सम्बन्ध में किये गये दैनिक व्यय।
 - 9) श्रम कल्याण के ऊपर चुकाये गये व्यय।
 - 10) भुगतान किये गये बिक्री-कर की रकम तथा बिक्री-कर अपील सम्बन्धी व्यय।
 - 11) अनार्थिक प्रतियोगिता को रोकने हेतु व्यापारिक संघ को चन्दा।
 - 12) करदाता के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण का विरोध करने हेतु बनाये गये संघ को चन्दा।
 - 13) कर्मचारियों को वेतन एवं अनुलाभ।
 - 14) महाप्रबन्धक को लाभों के प्रतिशत के रूप में कमीशन।
 - 15) विक्रय प्रतिनिधि को कमीशन।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ
एवं प्राप्तियों से आय

- 16) अवांछित कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के सम्बन्ध में दी गयी हर्जाने की रकम अथवा एक संचालक को व्यय के हित में सेवाओं से मुक्त करने पर दी गयी क्षतिपूर्ति की रकम।
- 17) कर्मचारियों को दी गयी पेंशन अथवा ग्रेच्युइटी।
- 18) दशहरा, दीपावली, मुहूर्त, आदि पर उचित व्यय।
- 19) कोई अनिवार्य चन्दा अथवा ऐसा चन्दा जिसका देना व्यापार के हित में हो।
- 20) व्यापार के लिए आर्डर लाने के सम्बन्ध में दिया गया कमीशन।
- 21) समय पर अनुबन्ध की पूर्ति न कर पाने पर हर्जाना।
- 22) सॉफ्टवेयर के रख-रखाव के लिए परामर्श शुल्क।
- 23) लेखांकन मानक-7(AS-7) के अन्तर्गत हानि का प्रावधान।
- 24) करदाता द्वारा किसी कम्पनी को उसका लोगो (Logo) प्रयोग करने हेतु भुगतान की गई अधिकार शुल्क।
- 25) वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए कानूनी व्यय।
- 26) कर्मचारियों के कार्य के दौरान कोई चोट या दुर्घटना के होने से उन्हें दी गई क्षतिपूर्ति की रकम।
- 27) व्यापार अथवा पेशे से सम्बन्धित कानूनी व्यय।
- 28) नया टेलीफोन/टैलेक्स (Telex) लगवाने पर व्यय (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आदेशानुसार)।
- 29) व्यापार के सम्भावित राष्ट्रीयकरण को रोकवाने अथवा व्यापार को किसी अन्य प्रकार से समाप्त होने से बचाने पर गये व्यय।
- 30) व्यापार के लिए सम्पत्ति क्रय करने के सम्बन्ध में उधार ली गई पूंजी पर दिया गया ब्याज (लेखा पुस्तकों में किया गया है अथवा नहीं)
- 31) व्यवसाय की पूंजीगत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु कानूनी व्यय।
- 32) व्यवसाय के संरक्षा हेतु कानूनी व्यय।
- 33) उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए आयोजन।
- 34) गैर-कम्पनी करदाता द्वारा परिवार नियोजन पर किये गये व्यय।
- 35) व्यापार चिह्न (Trade Mark) के पंजीयन एवं उसकी रक्षा पर किये गये व्यय।
- 36) ऋण लेने के सम्बन्ध में व्यय तथा ऋणपत्र जारी करने के व्यय।
- 37) ऐसे माल को जब्त होने से बचाने के लिए दिया गया अर्थदण्ड, जो करदाता ने किसी व्यक्ति से क्रय किया हो उसे यह जानकारी न हो कि यह माल विदेश से गैर-कानूनी ढंग से आयात किया गया था।
- 38) स्थानीय सत्ता द्वारा लगाया गया व्यावसायिक कर जिसका भुगतान करना व्यापार चलाने की अनुमति के लिए आवश्यक है।

- 39) करदाता द्वारा करघा घण्टे (Loom hours) क्रय करने पर दी गयी रकम, यह आयगत व्यय है।
- 40) इके की पूर्ति में देर करने के कारण सरकार को दिया गया हर्जाना तथा अर्थदण्ड।
- 41) व्यवसाय के लिए अनिवार्य चन्दे— जैसे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चन्दा।
- 42) अधिकार—शुल्क की रकम।
- 43) व्यवसाय कर का भुगतान।
- 44) व्यापार के सम्बन्ध में आयकर की किसी कार्यवाही के लिए किया गया व्यय।
- 45) कम्पनी अधिनियम के कारण पार्षद् सीमानियाम या पार्षद, अन्तर्नियम में संशोधन व्यय।
- 46) किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत किस्त चुकाने में देरी होने पर देय ब्याज स्वीकृत व्यय है।
- 47) शुल्क (Cess) की बकाया रकम पर सरकार को देय ब्याज क्योंकि यह शुल्क (Cess) चुकाने में देर करने की क्षतिपूर्ति है न कि अर्थदण्ड।
- 48) किसी संचालक द्वारा कम्पनी के व्यापार का विकास करने के लिए विदेशी दौरे (Tour) पर व्यय।
- 49) व्यापार के उद्घाटन या किसी त्यौहार, जैसे, दीपावली पर रंग—रोगन, प्रकाश (Lighting), कर्मचारियों को इनाम आदि पर किये गये व्यय।
- 50) स्कन्ध विपणि (stock exchange) पर सूचीयत कराने का शुल्क (Listing fee)।

व्ययों के कुछ उदाहरण जो की धारा 37(1) के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है।

कुछ उदाहरण निम्न है।

- 1) राज्य से किए गए ठहराव की शर्तों का उल्लंघन करने पर भुगतान किया गया हर्जाना तथा अर्थदंड।
- 2) कानून का उल्लंघन करने के संबंध में भुगतान किया गया हर्जाना एवं अर्थदंड।
- 3) संपत्ति के स्वामित्व में कोई कमी स्वामित्व को ठीक/पूर्ण करने पर किये गये मुकदमें/कानूनी व्यय।
- 4) अंशों के रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी व्यय।
- 5) अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए भुगतान की गई फीस।
- 6) समता अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी (शोधनीय हो सकती है) को बढ़ाने का व्यय, यद्यपि बोनस अंशों के निर्गमन का व्यय कटौती योग्य है।
- 7) तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि जिसे किसी नई वस्तु के बनाने में प्रयोग किया गया हो तथा वह जानकारी निर्धारित अवधि के समापन पर करदाता की संपत्ति हो जाए।
- 8) किसी व्यापार या अधिकार जो कि स्थाई चरित्र का हो प्राप्त करने के लिए व्यय की गई राशि, या संपत्ति जो आय उत्पन्न करती है, या व्यापार में क्षति पूर्ति से बचाने के लिए।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय

- 9) ख्याति प्राप्त करने के लिए दी गई राशि।
- 10) भूमि के ऊपर व अंदर खनिजों की जीत के अधिकार को प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय (जहां खनिज पहले से ही सतह पर हो, कच्चा माल प्राप्त करने के अधिकार को प्राप्त करने का व्यय कटौती योग्य है)।
- 11) खनिजों की खोज व छानबीन करने संबंधी भुगतान की गई फीस।
- 12) उत्पाद के निर्माण के एकाधिकार को प्राप्त करने के लिए प्रतिफल स्वरूप दिया गया भुगतान (माल की उसी व्यवस्था के आधार पर उत्पादन करने के लिए देय रायल्टी कटौती योग्य है)
- 13) करदाता जोकि धारा 195 के अधीन पर कर की कटौती करने का दोषी है द्वारा अनिवासी की ओर से कर का भुगतान।
- 14) पूंजीगत संपत्ति में अनावश्यक विनियोग से बचने के उद्देश्य के साथ अनुबंधीय पक्ष को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि।
- 15) रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थानांतरण पर व्यय।
- 16) फर्म द्वारा अपने साझेदार की जीवन बीमा पालिसी पर भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम।
- 17) शराब के ठेकेदार द्वारा पुलिस स्टाफ और अन्य अधिकारियों को शराब के अनाधिकृत क्रय एवं विक्रय को सक्षम बनाने के लिए भुगतान की गई राशि।
- 18) कंपनी द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रार को कंपनी के पूंजी आधार में वृद्धि के लिए फीस फाइलिंग करने का भुगतान करना।
- 19) एक फर्म में साझेदार करदाता कम्पनी द्वारा बाहर जाने वाले साझेदार को 15 वर्ष तक समान व्यवसाय करने से रोकने हेतु किया गया भुगतान।

स्वपरख प्रश्न ख

निम्न में उन व्ययों को बताइए जो व्यापार अथवा पेशे की आय की गणना करने के लिए स्वीकृत कटौती नहीं है।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- 1) एक फर्म से साझेदार द्वारा लिये गये ऋण पर फर्म द्वारा प्राप्त ब्याज शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी।
- 2) 31, मार्च 1998 के बाद तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने पर हुए व्ययों पर स्वीकृत होगा।
- 3) व्यवसाय में रु. 10,000 से अधिक भुगतान नकद करने पर सम्पूर्ण व्ययों का भाग अस्वीकृत होगा।
- 4) जलपोत व्यवसाय के लिए बनाये गये संचय के सम्बन्ध में अधिकतम कटौती व्यवसाय के लाभ का है।
- 5) श्रम कल्याण पर किए गए व्यय धारा के अन्तर्गत आते हैं।

10.5 सारांश

व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों की आय, कर की गणना के उद्देश्य के लिए तीसरा प्रमुख शीर्षक है। आयकर अधिनियम की धारा 28 उस आय का विश्लेषण करता है जो इस शीर्षक में कर योग्य है और धारा 29 से 44 DB के प्रावधानों के अंतर्गत आय की गणना होगी। करदाता जो कि विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं जैसे चाय, काफी और रबड़ को भारत में उगाने व निर्माण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के पूर्वक्षण, निष्कर्षण अथवा उत्पादन में संलग्न, अथवा धारा 35AD के अंतर्गत विशिष्ट व्यापार में संलग्न को व्यापारिक आय की गणना करने में विशेष कटौती स्वीकृत होती है। धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया व्यय चाहे आन्तरिक हो या फिर अनुसंधान एजेंसियों एवं संस्थाओं को दिया गया अंशदान हो, व्यापारिक आय की गणना करते समय संस्था को कटौती स्वीकृत है। धारा 36 और 37 के अंतर्गत अन्य सामान्य कटौतियाँ हैं, जो कि व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों के अंतर्गत स्वीकृत हैं।

10.6 शब्दावली

वैज्ञानिक अनुसंधान: इसका अर्थ प्राकृतिक विज्ञान जिसमें कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन शामिल है, के क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि के लिए की गई कोई भी गतिविधि है।

शीत श्रंखला सुविधा: सुविधाओं की वह श्रंखला जो कि कृषि एवं वन उत्पाद, मीट तथा मीट उत्पाद, मुर्गी पालन, समुद्री और डेयरी उत्पाद, बागवानी के उत्पाद फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, और प्रासंस्कृत खाद्य पदार्थ का वैज्ञानिक नियंत्रण दशाओं के अंतर्गत जिसमें रेफ्रिजरेशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उत्पाद के संरक्षण के लिए शामिल हैं, का परिवहन और भंडारण।

जीरो कूपन बॉन्ड: बुनियादी ढांचा पूंजी कंपनी द्वारा निर्गमित बाण्ड या बुनियादी पूंजी कोश या अनुसूचित बैंक का सार्वजनिक बैंक

10.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) (1) 1. ग 2. ड 3. ख 4. क 5. घ

(2) (क) सत्य (ख) सत्य (ग) सत्य (घ) सत्य (ड) असत्य

ख) 1) व्यापार एवं पेशे के लाभ (2) ह्रास (3) 100% (4) 100% (5) 37(1)

10.8 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

- 1) धारा 35AD के अनुसार किन्हीं पांच विशिष्ट व्यवसायों को बताइए।
- 2) धारा 37(1) के अंतर्गत ऐसे पांच व्ययों की सूची बनाइए जो स्वीकृत एवं अस्वीकृत है।
- 3) क) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय, ख) परिवार नियोजन पर व्यय, के बारे में व्याख्या कीजिए
- 4) व्यापार की आय की गणना में निम्नलिखित प्रावधान को आप कैसे प्रयोग करेंगे।
 - क) स्टाक का बीमा प्रीमियम
 - ख) उधार ली गई पूंजी पर ब्याज

व्यापार अथवा पेशे के लाभ
एवं प्राप्तियों से आय

ग) प्रतिभूतियों के लेन-देन पर कर

घ) डूबत ऋण

- 5) गत वर्ष 2021-22 में परिवार नियोजन पर किये गये व्यय को घटाने से पहले नेक्सा लि. की व्यापार से व्यय रु. 8,00,000 थी। कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के परिवार नियोजन पर गत वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित व्यय किये हैं-

रु.

i) परिवार नियोजन पर आयगत व्यय 4,40,000

ii) परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय 20,00,000

यह मानते हुए कि कम्पनी की अन्य स्रोतों से रु. 80,000 आय है, कम्पनी को परिवार नियोजन पर किये गये सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौती की गणना कीजिए।

उत्तर : सकल कुल आप 40,000

- 6) 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सुमित का लाभ हानि खाता निम्नांकित है। उस वर्ष की उनकी व्यापार से कर योग्य आय की गणना कीजिए।

विवरण	रु.	विवरण	रु.
प्रारम्भिक रहतिया	15,000	विक्रय	80,000
क्रय	40,000	अन्तिम रहतिया	20,000
वेतन	16,000	पिता से उपहार	10,000
मजदूरी	4,000	कार की विक्री	17,000
किराया	6,000	आयकर की वापसी	3,000
कार की परम्मत	3,000		
पूंजी पर ब्या	2,000		
चिकित्सा व्यय	3,000		
सामान्य व्यय	10,000		
कार का ह्रास	3,000		
अग्रिम आयकर चुकाया	1,000		
वर्ष का लाभ	27,000		
	1,30,000		1,30,000

निम्नलिखित अतिरिक्त सुचनाएँ दी गयी हैं :

- 1) श्री सुमित अपना व्यापार किराये के भवन में चला रहा है, जिसका आधा भाग उसके रहने में प्रयोग हो रहा है।
- 2) श्री सुमित ने वर्ष में कार 20,000 रु. की क्रय की उसने कार के मूल्य का 15 प्रतिशत ह्रास लगाया। वर्ष में 17,000 रु. में बेच दी गई। कार का प्रयोग 1/4 निजी कार्यों में होता है।
- 3) चिकित्सा व्यय श्री सुमित की बीमारी के इलाज में हुए है।

- 4) मजदूरी में 250 रु. प्रति माह मि. सुमित के ड्राइवर का 10 माह का वेतन शामिल है।
5) कर्मचारी के हित के लिए एक मैडीक्लेम पॉलिसी जिसका प्रीमियम 4,000 रु हैं, मि. सुमित ने नकद भुगतान किये ये रकम वेतन में शामिल है।

उत्तर : व्यापार से करयोग्य आय 14,375 रु.

- 7) श्री संजय गोयल चार्टर्ड एकाउण्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वे अपने खाते रोकड वहीं के अनुसार रखते हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का उनका प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्नलिखित है

प्राप्ति	रु. रकम	भुगतान	रकम
शेष आगे लायें	9,300	कार्यालय किराया	2,400
अंकेक्षण शुल्क	64,700	ऑडिट क्लर्क का वेतन	24,800
अन्य लेखा कार्यो से आय	56,800	आर्टिकल क्लर्क को भत्ता	1,800
आयकर अपील का मुकदमा लड़ने की फीस	8,100	वेतन	32,400
परीक्षक की फीस (विश्वविद्यालय से)	600	नगरपालिका कर	400
		व्यक्तिगत व्यय	
लाभांश	7,840	सदस्यता शुल्क	1,100
सम्पत्ति का किराया	4,000	जीवन बीमा प्रीमियम	1,500
		आयकर	2,500
		मोटरकार क्रय की	9,000
		मोटरकार व्यय	600
		मकानसम्पत्ति का बीमा	300
		शेष आगे ले गये	21,040
	1,51,340		1,51,340

यह ध्यान देते हुए कि मोटर कार व्ययों का 1/3 भाग पेशे से सम्बन्धित है, श्री संजय गोयल की कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए पेशे की आय ज्ञात कीजिए। कार पर ह्रास की दर 15 प्रतिशत

उत्तर : पेशा से आय 67,050 रु.

नोट: वेतन के 32,000 रु. श्री संजय के अन्य कर्मचारियों के लिए है।

नोट: ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं। इनके उत्तर लिखने का अभ्यास करें किंतु उत्तरों को विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए न भेजें। प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप स्वयं अपनी प्रगति की जाँच कर सकते हैं।